न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री शान्ति लाल जैन आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 69 / 2021 रा.वा.
जी.सी.एम.एस. नम्बर–2021 / 34
उनवान

1. श्री चेतन कुमार पिता स्व. तेजपालजी जैन उम्र बालिग
2. श्री रोशनलाल पिता पिता स्व. तेजपालजी जैन उम्र बालिग
3. श्री सुंदरलाल पिता स्व. तेजपालजी जैन उम्र बालिग
   सभी निवासी उथरदा तहसील सलुम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सा. तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम एवं
इन्द्राज दुरुस्ती अतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 19/03/25

उपस्थितिः श्री दिनेश कुमार जैन–वादीगण
श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता– प्रतिवादी।

वादी के वाद के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि वादीगण के परिवार का सजरा वादपत्र की कलम संख्या 1 अनुसार स्व. तेजपाल पिता रोडजी जैन के वारिस श्री चेतन कुमार, श्री रोशनलाल , श्री सुन्दरलाल है। वादीगण के पिता स्व. तेजपाल पिता रोडजी के स्वामित्व व आधिपत्य एवं खातेदार कि कृषि भूमि मौजा उथरदा पटवार क्षेत्र उथरदा तहसील सलूम्बर मे स्थित थी जो बन्दोबस्त पूर्व जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 खाता नं 282 अनुसार आराजी नं. 746 रकबा 8 बिस्वा लगान 2.81 रूपया दर्ज थी, उक्त भूमि पर प्रार्थीगण आज भी बेरोकटोक काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है। उक्त पुरानी आराजी नम्बर 746 रकबा 8 बिस्वा के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नये आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.05 हैक्टेयर बनाए है। जबकि क्षैत्रफल 0.09 हैक्टेयर बनना चाहिए था। जिसकी वादीगण घोषणा करने के अधिकारी है। वादीगण के खाते मे सवंत् 2039 से 2042 कि जमांबदी के खाता सख्या 281 में कुल भुमि आराजी न. 746 रकबा 8 बिस्वा में से 7 बिसवा भुमि आबादी हुई थी तथा 1 बिस्वा कृषि भुमि दर्ज थी। बंदोबस्त अधिकारी ने बिना किसी आदेश से अपनी मन मर्जी से या बदनियति से दोराने सेटलमेंट बिना किसी आदेश के भूमि का नया रकबा 0.05 हैक्टर बना दिया जबकि मौके पर आज भी भूमि पुराने नक्शे अनुसार पुरी कि पुरी मौजुद है जिस पर वादीगण का कब्जा आज भी है जिसे दुरस्त कर जमांबदी में आराजी सख्या 2484 का रकबा 0.07 हैक्टर आबादी एवं 0.02 हेक्टर कृषि भुमि दर्ज किया जाना आवश्यक है जिसके वादीगण अपने खाते कराने के अधिकारी है इसलिये यह घोषणा कराने एवं इन्द्राज दुरस्ति का यह वाद पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में निम्न आशय कि डिकी प्रदान फरमावे कि मौजा उथरदा पटवार हल्का उथरदा के आराजी न 2484 रकबा 0.09 हैक्टर भुमि वादीगण के

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

खाते दर्ज किया जावे जिसमे 0.07 हैक्टर भुमि किस्म आबादी तथा 0.02 हैक्टर कृषि भुमि दर्ज कि जावे।

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन हाजिर आये। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर अंकित किया कि वादपत्र अस्वीकार वाद सव्यय खारीज करने का निवेदन किया।

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर प्रकरण मे निम्नलिखित तनकियात कायम की गई–

1. आया वादीगण मौजा उथरदा पटवार मण्डल उथरदा भू.अ.नि. क्षेत्र गींगला के आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.09 हेक्टेयर भूमि अपने नाम घोषणा कराने के अधिकारी है।
–बजिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण मौजा उथस्दा पटवार मण्डल उथरदा भू.अ.नि. क्षेत्र गींगला के आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.09 हेक्टेयर भूमि मेसे 0.07 हैक्टेयर भूमि आबादी एवं 0.02 हैक्टेयर भूमि कृषि राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज दुरस्त करवाने के अधिकारी है।
–बजिम्मे वादीगण
3. अनुतोष

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यू. 1 श्री चेतन कुमार पिता स्व. तेजपाल जैन का शपथ पत्र पेश किया एवं बयान कलमबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज पेश किये–

प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2039–2042
प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल की नकल
प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 548
प्रदर्श–4 सेटलमेन्ट जमाबंदी संवत् 2047 से 2048
प्रदर्श–5 नक्शा

प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन मे कोई गवाह पेश नही कराये। तद्पश्चत पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस मे अपने वादपत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा उथरदा की सा.आ.नं. 746 रकबा 8 बिस्वा के नये आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.05 हैक्टेर के बजाय इन्द्राज दुरूस्ती कर साबिक रकबे भुमि अनुसार वादीगण के खाते दर्ज किया जावे जिसमे 0.07 हैक्टर भुमि किस्म आबादी तथा 0.02 हैक्टर कृषि भुमि दर्ज कि जावे तथा इसी अनुसार हाल राजस्व जमाबंदी एवं नक्शे मे दुरस्ती की जावे। प्रतिवादी की बहस जवाब अनुसार रही।

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1– आया वादीगण मौजा उथरदा पटवार मण्डल उथरदा भू.अ.नि. क्षेत्र गींगला के आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.09 हेक्टेयर भूमि अपने नाम घोषणा कराने के अधिकारी है ?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रदर्श 1 मौजा उथरदा पटवार हल्का उथरदा जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 आराजी नम्बर 976 रकबा 8 बिस्वा भूमि तेजपाल पिता रोडजी महाजन के नाम दर्ज अंकित है जिसकी विशिष्टीयो मे इन्तकाल नम्बर 1443 दिनांक

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

20–05–86 से 7 बिस्वा भूमि आबादी दर्ज करने एवं शेष 1 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज करने का दाखला अंकित है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 746 रकबा 8 बिस्वा के नये नम्बर 2484 रकबा 0.05 हैक्टेयर बनाये जो प्रदर्श 3 हाल जमाबंदी संवत् खाता संख्या 548 मे वादीगण के खाते दर्ज अंकित है। जो रिकॉर्ड अवलोकन से त्रुटिपुर्ण प्रतीत होता है। तनकी नम्बर 1 वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2– आया वादीगण मौजा उथरदा पटवार मण्डल उथरदा भू.अ.नि. क्षेत्र गींगला के आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.09 हेक्टेयर भूमि मेसे 0.07 हैक्टेयर भूमि आबादी एवं 0.02 हैक्टेयर भूमि कृषि राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज दुरस्त करवाने के अधिकारी है।

यह तनकी साबित करने का भार भी वादीगण पर है। तनकी नम्बर 1 वादीगण साबित करने मे सफल रहे है। अतः तनकी नम्बर 2 भी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3– अनुतोष

बहस पर मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तनकीयात विवेचन से स्पष्ट है कि प्रदर्श 1 मौजा उथरदा पटवार हल्का उथरदा जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 आराजी नम्बर 976 रकबा 8 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता स्व. तेजपाल पिता रोडजी महाजन दर्ज अंकित थी जिसमे से 7 बिस्वा भूमि आबादी एवं शेष 1 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज करने का दाखला अंकित है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 746 रकबा 8 बिस्वा के नये आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.05 हाल राजस्व रेकार्ड मे आबादी दर्ज है। जो साबिक एवं हाल रिकॉर्ड का तुलनात्मक मिलान करने पर आराजी नम्बर 2484 कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर मे से 0.07 हैक्टेयर भूमि आबादी एवं 0.02 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। सेटलमेन्ट के बाद सेटलमेन्ट से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों को दोहराया जाना था। जो रिकॉर्ड अवलोकन से त्रुटिपूर्ण होना जाहिर होता है। वादीगण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया मौजा उथरदा पटवार हल्का उथरदा के साबिक आराजी नम्बर 746 रकबा 8 बिस्वा मे से 7 बिस्वा आबादी एवं 1 बिस्वा कृषि भूमि का हाल राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर हाल राजस्व रेकार्ड मे 0.07 हैक्टेयर आबादी एवं 0.02 हैक्टेयर कृषि भूमि कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि का काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

माफिक निर्णय डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जावे तथा पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वादीगण के हाल राजस्व जमाबंदी एवं नक्शे मे निर्णय अनुसार दुरूस्ती करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शान्ति लाल जैन RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला –सलूम्बर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री शान्ति लाल जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 69 / 2021 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर—2021 / 34

उनवान

1. श्री चेतन कुमार पिता स्व. तेजपालजी जैन उम्र बालिग
2. श्री रोशनलाल पिता पिता स्व. तेजपालजी जैन उम्र बालिग
3. श्री सुंदरलाल पिता स्व. तेजपालजी जैन उम्र बालिग

सभी निवासी उथरदा तहसील सलुम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सा. तहसील सलूम्बर हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

—प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम एवं
इन्द्राज दुरुस्ती अतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री दिनेश कुमार जैन एवं प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री राजकुमार जैन की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा उथरदा पटवार हल्का उथरदा के साबिक आराजी नम्बर 746 रकबा 8 बिस्वा मे से 7 बिस्वा आबादी एवं 1 बिस्वा कृषि भूमि का हाल राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर हाल राजस्व रेकार्ड मे 0.07 हैक्टेयर आबादी एवं 0.02 हैक्टेयर कृषि भूमि कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि का काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री की एक प्रति तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वादीगण के हाल राजस्व जमाबंदी एवं नक्शे मे डिक्री अनुसार दुरूस्ती करे।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना—अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 19/03/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(शान्ति लाल जैन RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर